भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 441
जिसका उत्तर मंगलवार, 4 फरवरी, 2020 को दिया जाएगा

भारत में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग

441. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ख) क्या सरकार 10 प्रकार के विभिन्न ग्रेडों से बने सभी आभूषणों पर हॉलमार्क किए जाने पर भी जोर डाल रही है;
(ग) देश में जिला और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने परख अैर हॉलमार्किंग केंद्र हैं;
(घ) क्या देश में परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की पर्याप्त संख्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(च) सरकार द्वारा निम्न गुणवत्ता के आभूषण खरीदने से ग्राहकों को बचाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): जी, हां। देश में दिनांक 15 जनवरी, 2021 से स्वर्ण आभूषणों और शिल्पाकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए का.आ. संख्या 205(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2020 के तहत स्वर्ण आभूषणों और शिल्पाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भारत के राजपत्र में दिनांक 15 जनवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया है, जिसके कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है।

(ख): भारतीय मानक आईएस 1417:2016 में यथाविनिर्दिष्ट, स्वर्ण आभूषणों एवं कलाकृतियों के लिए 14, 18 और 22 कैरेट नामक केवल तीन श्रेणियां हॉलमार्क की जा सकती हैं।

(ग): दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, बी.आई.एस. द्वारा भारत में 892 एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों (ए एंड एच केंद्रों) को मान्यता दी गई है। इन केंद्रों की जिला और राज्य-वार सूची **अनुलग्नक** पर दी गई है।

(घ) और (ङ): वर्ष में प्रतिदिन प्रति केन्द्र द्वारा हॉलमार्क की गई वस्तुओं की औसतन संख्या लगभग केवल 225 है। एक प्रारूपी (टिपिकल) केन्द्र मशीनों के एक सैट से प्रति पारी 500 पीस (अथवा लगभग 1500 पीस प्रति दिन) हॉलमार्क कर सकता है। इस प्रकार, एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की क्षमता का औसत उपयोग 50% से कम है तथा आज की तारीख के अनुसार क्षमता-संबंधी कोई बाधा नहीं है।

(च): भारतीय मानक ब्यूरो अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इनमें से अधिकांश जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से किया जाता है। इन कार्यक्रमों में मानकीकरण के मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, बी.आई.एस. मानक चिह्न, स्वर्ण और चांदी की हॉलमार्किंग का संवर्धन करते हुए, उपभोक्ताओं में गुणवत्ता संबंधी जागरूकता के बारे में प्रसार करना और उन्हें बी.आई.एस. मानक चिह्न के दुरूपयोग और बी.आई.एस. मानक चिह्न वाले उत्पादों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में शिक्षित करने पर बल दिया जाता है।

****

अनुलग्नक

"भारत में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग" के संबंध में दिनांक 04.02.2020 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 441 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण

एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की राज्य-वार और जिला-वार सूची					
क्षेत्र	**राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	**एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या**	**जिलों की संख्या**	**कवर किए गए जिले**	**कवर न किए गए जिले**
मध्य	दिल्ली	42	11	6	5
	मध्य प्रदेश	16	52	8	44
	राजस्थान	42	33	15	18
	कुल	**100**	**96**	**29**	**67**
उत्तरी	पंजाब	23	22	11	11
	चंडीगढ़	5	1	1	0
	उत्तराखंड	3	13	2	11
	हिमाचल प्रदेश	2	12	2	10
	जम्मू और कश्मीर	3	20	1	19
	लद्दाख	0	2	0	2
	हरियाणा	19	22	12	10
	उत्तर प्रदेश	66	75	20	55
	कुल	**121**	**167**	**49**	**118**
पश्चिमी	महाराष्ट्र	122	36	22	14
	गुजरात	76	33	23	10
	गोवा	2	2	2	0
	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	1
	दमन और दीव	0	2	0	2
	कुल	**200**	**74**	**47**	**27**
दक्षिणी	तमिलनाडु	101	32	22	10
	आंध्र प्रदेश	43	13	12	1
	तेलंगाना	34	31	3	28
	केरल	70	14	13	1
	कर्नाटक	52	30	13	17
	पुडुचेरी	2	4	1	3
	लक्षद्वीप	0	1	0	1
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3	0	3
	कुल	**302**	**128**	**64**	**64**
पूर्वी	बिहार	25	38	11	27
	झारखंड	9	24	4	20

एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की राज्य-वार और जिला-वार सूची					
क्षेत्र	**राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	**एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या**	**जिलों की संख्या**	**कवर किए गए जिले**	**कवर न किए गए जिले**
	ओडिशा	20	30	6	24
	छत्तीसगढ़	6	27	2	25
	असम	5	33	3	30
	त्रिपुरा	2	8	2	6
	अरुणाचल प्रदेश	0	25	0	25
	नागालैंड	0	11	0	11
	मेघालय	0	11	0	11
	सिक्किम	0	4	0	4
	मिजोरम	0	8	0	8
	पश्चिम बंगाल	102	23	17	6
	मणिपुर	0	16	0	16
	कुल	**169**	**258**	**45**	**213**
	कुल योग	**892**	**723**	**234**	**489**